

प्रारंभिक परीक्षा

भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम और रणनीतिक प्रतिरोध

संदर्भ

- आईएनएस अरिधमन के जलावतरण (Commissioning) के साथ भारत का समुद्र-आधारित परमाणु निवारण और मजबूत हुआ है, जो भारत की परमाणु त्रय (Nuclear Triad) क्षमता (भूमि, वायु, समुद्र वितरण प्रणाली) को सुदृढ़ करता है।

भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम

कार्यक्रम	विवरण
अरिहंत श्रेणी की SSBNs	उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) परियोजना के तहत भारत की स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ, जो परमाणु त्रय के समुद्री घटक का निर्माण करती हैं। <ul style="list-style-type: none"> आईएनएस अरिहंत (2016), आईएनएस अरिघात (2024), आईएनएस अरिधमन (2026) और आगामी S4/S4 स्टार वेरिएंट (~6000-7000 टन; K-15 ~750 किमी और K-4 ~3500 किमी की SLBMs ले जाने में सक्षम)।
SLBM मिसाइल प्रणालियाँ	पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM) में K-15 सागरिका (~750 किमी) और K-4 (~3500 किमी) शामिल हैं, जबकि भविष्य की लंबी दूरी की K-5 और K-6 मिसाइलें निर्माणाधीन हैं।
परमाणु हमलावर पनडुब्बी कार्यक्रम (SSN)	पारंपरिक नौसैनिक युद्ध, समुद्री नियंत्रण और पनडुब्बी-रोधी अभियानों के लिए नियोजित स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियाँ; (अनुमानित वर्ष ~2036)।
पारंपरिक पनडुब्बी आधुनिकीकरण	प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की स्कॉपीन पनडुब्बियाँ और वायु स्वतंत्र प्रणोदन (AIP) तकनीक से लैस नियोजित प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियाँ।
रणनीतिक बुनियादी ढाँचा	जहाज निर्माण केंद्र विशाखापत्तनम, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) रिएक्टर डिजाइन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) मिसाइल एकीकरण और भारतीय नौसेना के रणनीतिक बल कमान द्वारा समर्थित विकास।

परमाणु त्रय का रणनीतिक महत्व

- विश्वसनीय द्वितीय-प्रहार क्षमता (Credible Second-Strike Capability):** समुद्र-आधारित परमाणु हथियार यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि भूमि-आधारित संपत्तियां नष्ट भी हो जाएं, तो भी जवाबी कार्रवाई संभव है (विश्वसनीय न्यूनतम निवारण का प्रमुख सिद्धांत)।
- उत्तरजीविता और गोपनीयता (Survivability and Stealth):** SSBNs लंबे समय तक पानी के भीतर छिपी रहती हैं, जिससे विरोधियों के लिए उनका पता लगाना या उन्हें नष्ट करना कठिन हो जाता है।
- रणनीतिक स्थिरता:** त्रय क्षमता परमाणु शक्तियों (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत) के बीच निवारण को स्थिर करती है।
 - यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की बढ़ती पनडुब्बी उपस्थिति और पाकिस्तान की विकसित होती परमाणु वितरण प्रणालियों का मुकाबला करती है।
- समुद्री मार्ग सुरक्षा:** हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों (हॉर्मुज, मलक्का, ऊर्जा शिपिंग लेन) की सुरक्षा का समर्थन करती है।
- बहु-डोमेन युद्ध तत्परता:** आधुनिक संघर्ष तेजी से भूमि, वायु, साइबर और समुद्री डोमेन तक फैले हुए हैं, जिससे समुद्र-आधारित परमाणु निवारण आवश्यक हो गया है।

- **स्वदेशी क्षमता:** रणनीतिक प्रौद्योगिकियों (परमाणु रिएक्टर, SLBM, ATV परियोजना के तहत पनडुब्बी डिजाइन) में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है।
- **तकनीकी लाभ:** परमाणु इंजीनियरिंग, स्टील्थ तकनीक, मिसाइल प्रणालियों, धातुकर्म और उन्नत जहाज निर्माण में घरेलू विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है।

दिल्ली-देहरादून वन्यजीव गलियारा

संदर्भ

14 अप्रैल, 2026 को आधिकारिक उद्घाटन से पहले, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक संयुक्त अध्ययन ने एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव एलीवेटेड कॉरिडोर की कार्यात्मक सफलता की पुष्टि की है।

दिल्ली-देहरादून वन्यजीव गलियारे के बारे में

- विशेष पशु अंडरपास खंड **12 किमी लंबा** है, जो गणेशपुर (उत्तर प्रदेश) और आशारोड़ी (उत्तराखंड) के बीच 18 किमी के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है।
- सड़क को **7 मीटर की ऊंचाई** तक उठाया गया है, जिसे विशेष रूप से **एशियाई हाथियों** के आवागमन की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें सुरक्षित महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्ध्वाधर निकास (overhead clearance) की आवश्यकता होती है।
- **लक्षित प्रजातियां:** यह गलियारा बाघों, एशियाई हाथियों, तेंदुओं, ग्रेटर हॉर्नबिल्स और किंग कोबरा का निवास स्थान होने के कारण उच्च-जैव विविधता क्षेत्र की रक्षा करता है।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:** यह गलियारा शिवालिक-एलिफेंट रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्तर-पश्चिमी हाथी आबादी के लिए यमुना और गंगा नदियों के बीच प्रवासी मार्ग को बनाए रखता है।
- **महत्व:**
 - भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के हालिया अध्ययनों ने मात्र 40 दिनों में गलियारे का उपयोग करने वाले जंगली जानवरों की 40,000 से अधिक तस्वीरें दर्ज कीं, जिनमें हाथियों के 60 दस्तावेजी उदाहरण शामिल हैं।
 - सबसे अधिक बार उपयोग करने वालों में गोल्डन जैकल (सियार), नीलगाय, सांभर, चित्तीदार हिरण (चीतल) और छोटे स्तनधारी जैसे भारतीय खरगोश शामिल हैं।
 - **तकनीकी निगरानी:** यातायात के शोर से आवाजाही पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 'ऑडियोमोथ' (Audiomoth) ध्वनिक रिकॉर्डर का उपयोग किया गया; परिणामों से पता चला कि सियार शोर के प्रति सहनशील हैं, जबकि हाथी और हिरण शांत खंडों को प्राथमिकता देते हैं।

इको-ब्रिज(Eco-bridges)

- ये **रैखिक अवसंरचना (राजमार्ग, रेलवे) द्वारा विभाजित भू-भागों में "संयोजी ऊतक" का काम करते हैं।**
- आधुनिक पर्यावरण-संग्रह सभी के लिए एक समान नहीं होते। इन्हें लक्षित प्रजातियों के व्यवहार के आधार पर डिजाइन किया जाता है:
 - **कैनोपी पुल:** लाल पांडा या स्लेंडर लोरिस जैसी वृक्षीय प्रजातियों के लिए।
 - **अंडरपास:** विशिष्ट ऊंचाई वाले (उदाहरण के लिए, हाथियों के लिए 7 मीटर)।
 - **उभयचर सुरंगें:** मेंढकों और सरीसृपों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए डिजाइन किए गए छोटे, नम पुल।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, इन संरचनाओं को शामिल करना अक्सर "वन मंजूरी" के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है।
- प्रस्तावकों को यह सुनिश्चित करने के लिए जैविक प्रभाव आकलन करना होगा कि पुल का स्थान प्रलेखित "पशु टकराव" हॉटस्पॉट या पारंपरिक प्रवासी मार्गों के अनुरूप हो।

राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक नेतृत्व: COP33 की मेजबानी के प्रस्ताव से भारत के पीछे हटने का विश्लेषण

संदर्भ

अपनी अंतरराष्ट्रीय जलवायु रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, भारत ने 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP33) की मेजबानी के लिए अपने पहले के प्रस्ताव को रद्द करने का निर्णय लिया है।

रणनीतिक तर्क: भारत ने COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव क्यों वापस लिया?

1. "विकास-प्रथम" प्रतिमान की ओर झुकाव

भारत की वापसी उसके रुख के रणनीतिक कड़ा होने को दर्शाती है, जो "शमन-केंद्रित" वैश्विक दृष्टिकोण से हटकर घरेलू विकास को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।

- **कार्बन स्पेस बनाम तापमान लक्ष्य:** भारत ने 1.5°C और 2°C लक्ष्यों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि ये लक्ष्य विकासशील देशों को गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक "कार्बन स्पेस" से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करते हैं।
- **बीमा के रूप में अनुकूलन:** वर्तमान नीति यह मानती है कि तेजी से आर्थिक विकास ही जलवायु प्रभावों के विरुद्ध सामाजिक लचीलापन बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है, जो आक्रामक उत्सर्जन कटौती के बजाय 'अनुकूलन' (Adaptation) को प्राथमिकता देता है।
- **"प्रमुख शक्ति" का पथ:** अमेरिका और चीन के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, भारत उच्च-दबाव वाले अंतरराष्ट्रीय जनादेशों के प्रति प्रतिबद्ध होने से पहले अपनी औद्योगिक और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।

2. "मेजबान की दुविधा" और हितों का टकराव

COP अध्यक्ष की भूमिका एक तटस्थ मध्यस्थ की होती है, जो भारत के मुखर होते राष्ट्रीय हितों के साथ सीधे टकराव की स्थिति पैदा करती।

- **जलवायु वित्त पर सख्त रुख:** भारत "जुटाए गए" निजी फंडों की तलाश से हटकर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित राष्ट्रों से सार्वजनिक संसाधनों के प्रत्यक्ष "प्रावधान" की मांग करने लगा है।
- **ऊर्जा सुरक्षा बनाम जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध उन्मूलन:** मेजबान के रूप में, भारत पर जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के संक्रमण का नेतृत्व करने का दबाव होता, जो अस्थिर भू-राजनीतिक माहौल में उसकी ऊर्जा स्थिरता को खतरे में डाल सकता था।
- **2028 ग्लोबल स्टॉकटेक (GST):** चूंकि COP33 महत्वपूर्ण दूसरे GST के साथ मेल खाता है, इसलिए अध्यक्ष से "उच्च-महत्वाकांक्षी" परिणाम देने की अपेक्षा की जाती है।
 - भारत को डर था कि उसे ऐसे उदाहरण पेश करने के लिए विवश किया जा सकता है जो उसके स्वयं के आर्थिक विकास को बाधित कर सकते हैं।

3. वैज्ञानिक और भू-राजनीतिक चर

बाहरी कारकों ने 2028 की समयसीमा को भारतीय अध्यक्षता के लिए विशेष रूप से प्रतिकूल बना दिया।

- **IPCC AR7 टाइमलाइन:** 2028 तक सातवीं मूल्यांकन रिपोर्ट (AR7) को शीघ्रता से लाने का वैश्विक दबाव है। भारत इसका विरोध करता है, उसे डर है कि एक निराशाजनक वैज्ञानिक रिपोर्ट का उपयोग तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक (भारत) को नई, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के लिए मजबूर करने के लिए किया जाएगा।
- **"अमेरिकी कारक" और विश्वास की कमी:** पेरिस समझौते के प्रति अमेरिका के समय-समय पर ठंडे पड़ते रुख के कारण, भारत ऐतिहासिक उत्सर्जकों के पीछे हटने के दौरान अधिक जिम्मेदारी लेने से सतर्क है। इसके अलावा, वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई किसी भी मेजबान के लिए आम सहमति बनाना लगभग असंभव बनाती है।
- **नीतिगत स्वायत्तता का संरक्षण:** अंततः, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जांच और दबाव के आगे झुकने के बजाय अपनी संप्रभु नीतिगत स्वायत्तता की रक्षा करना चुना जो स्वाभाविक रूप से COP अध्यक्षता के साथ आती है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक का विकल्प

संदर्भ

प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन को संस्थागत बनाने का प्रयास करता है। हालांकि, इसने उच्च शिक्षा में संघीय संतुलन, संस्थागत स्वायत्तता और शासन संरचनाओं के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं।

एक वैकल्पिक ढांचे का महत्व

- **संघवाद का संरक्षण:** शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता है।
- **संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा:** प्रमुख संस्थानों सहित विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है।
- **समावेशी शासन सुनिश्चित करना:** लोकतांत्रिक कामकाज के लिए संकाय, छात्रों और संस्थागत निकायों की भागीदारी आवश्यक है।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:** उच्च शिक्षा को समता, आरक्षण और अंतर-क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहिए।
- **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरक्षण:** ध्यान केवल वैश्विक रैंकिंग से हटकर नवाचार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिणामों पर होना चाहिए।

प्रस्तावित वैकल्पिक ढांचा

- **साझा शासन संरचना:** केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए संयुक्त निर्णय लेने की प्रणाली स्थापित करना।
 - विनियमन, प्रत्यायन (Accreditation) और मानक निर्धारण में राज्य उच्च शिक्षा परिषदों (SHECs) और केंद्रीय निकायों को (50:50) प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
 - स्थानीय सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक संदर्भों को प्रतिबिंबित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की शुरुआत करना।
- **संस्थागत भागीदारी को सुदृढ़ करना:** विश्वविद्यालयों की सीनेट, शैक्षणिक परिषदों और हितधारक संघों (शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों) के लिए औपचारिक भूमिकाएं सुनिश्चित करना।
 - टॉप-डाउन विनियमन के बजाय परामर्शदात्री और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
- **स्वतंत्र वित्त पोषण प्रणाली:** पारदर्शी और न्यायसंगत निधि आवंटन के लिए एक उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) बनाना।
 - राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्रांट प्रदान करना, विशेष रूप से क्षेत्रीय और ऐतिहासिक असमानताओं को पाटने के लिए।
- **संतुलित नियामक संरचना:** संस्थानों की मान्यता, निरीक्षण और बंद करने पर अत्यधिक केंद्रीय नियंत्रण को सीमित करना।
 - किसी संस्थान को बंद करने से पहले राज्य की सहमति अनिवार्य करना।
- **प्रत्यायन और मानकों में सुधार:** तृतीय-पक्ष प्रत्यायन एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता से बचना।
 - आउटपुट-आधारित मेट्रिक्स (प्रकाशन, पेटेंट) से परिणाम- और प्रभाव-आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव।
- **समता और सार्वजनिक उद्देश्य:** एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative action) नीतियों को अनिवार्य करना।
 - ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय शिक्षा के सार्वजनिक वित्त पोषण पर जोर देना।


विकल्प को लागू करने में चुनौतियाँ

- **केंद्र-राज्य समन्वय के मुद्दे:** प्राथमिकताओं में भिन्नता आम सहमति बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है।
- **संस्थागत क्षमता की सीमाएं:** कई राज्य निकायों को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
- **नियामक विखंडन का जोखिम:** यदि सावधानीपूर्वक डिजाइन न किया गया, तो विकेंद्रीकरण से विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
- **राजनीतिक और वैचारिक मतभेद:** पाठ्यक्रम और ज्ञान ढांचे को लेकर असहमति।
- **वित्त पोषण की सीमाएं:** पर्याप्त और निरंतर सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- **संशोधन:** केंद्र और राज्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए विधेयक में संशोधन करना।
- **संस्थागत बनाना:** कानूनी रूप से अनिवार्य परामर्श तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद।

- **स्वायत्तता:** वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ SHECs को मजबूत करना।
- **सामूहिक भागीदारी:** एक पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी शासन मॉडल का निर्माण करना।
- **सार्वजनिक हित:** संकीर्ण प्रदर्शन संकेतकों के बजाय समता, नवाचार और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना।
- **सुधार:** यह सुनिश्चित करना कि उच्च शिक्षा सुधार संदर्भ-संवेदनशील, समावेशी और संवैधानिक रूप से सरेखित हों।



मुख्य परीक्षा

संवैधानिक नैतिकता के लिए एक विनम्र आग्रह

संदर्भ

संवैधानिक नैतिकता को लेकर बहस न्यायिक और राजनीतिक विमर्श में फिर से उभर आई है, विशेष रूप से सबरीमाला मामले से संबंधित सुनवाई के दौरान। इस अवधारणा की वैधता और स्पष्टता के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं, कुछ लोगों का तर्क है कि यह न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) के प्रति संवेदनशील है।

संवैधानिक नैतिकता के बारे में

- **परिभाषा:** संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता से है। यह स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है, जिसके लिए व्यक्तियों को संवैधानिक प्राधिकरण का सम्मान करने के साथ-साथ सत्ता में बैठे लोगों से प्रश्न करने और उनकी आलोचना करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है।
- **अवधारणा का परिचय:** इस अवधारणा को पहली बार 1846 में जॉर्ज ग्रोटे (George Grote) द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने इसे संवैधानिक रूपों और प्रक्रियाओं के प्रति गहरे सम्मान के रूप में वर्णित किया, जिसमें शामिल हैं:
 - स्थापित राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान।
 - शासी अधिकारियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता।
 - प्रणाली के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों और सत्ता में बैठे लोगों के बीच आत्म-अनुशासन।

भारतीय संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता

संवैधानिक आधार

- **प्रस्तावना (Preamble):** न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत मूल्यों को दर्शाती है।
- **मौलिक अधिकार (भाग III):** मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं (जैसे, अनुच्छेद 32)।
- **राज्य के नीति निर्देशक तत्व (भाग IV):** शासन और सामाजिक न्याय के लिए नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- **मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A):** राष्ट्र के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं।
- **नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances):** विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण अधिकार के केंद्रीकरण को रोकता है।
- **"नैतिकता" (Morality) शब्द स्वयं विशिष्ट प्रावधानों में प्रकट होता है, जिनमें शामिल हैं:**
 - अनुच्छेद 19(2) और 19(4) (स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध)।
 - अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 26 (नैतिकता के अधीन धर्म की स्वतंत्रता)।

न्यायिक व्याख्या

- **रथिनाम बनाम भारत संघ (1994):** स्वीकार किया गया कि कानून निष्पक्षता जैसे नैतिक सिद्धांतों में निहित हैं।
- **नाज़ फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार (2009):** संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता से अलग किया और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी।
- **मनोज नरुला बनाम भारत संघ (2014):** इसे संवैधानिक मानदंडों के पालन और मनमानेपन से मुक्त शासन के रूप में परिभाषित किया गया।
- **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017):** इसे कानून के शासन, गरिमा और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण से जोड़ा।
- **नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018):** समावेशिता को बढ़ावा देने और LGBTQ+ अधिकारों की रक्षा में इसकी भूमिका को सुदृढ़ किया।

- **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018):** यह माना गया कि धार्मिक स्थानों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता हावी होती है।
- **एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018):** सहकारी संघवाद, संस्थागत सम्मान और सहभागी शासन को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचार

संविधान सभा की बहसों के दौरान बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की सफलता अंततः उसे लागू करने वालों के आचरण पर निर्भर करती है। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता को इस प्रकार परिभाषित किया:

- संवैधानिक ढांचे और संस्थाओं का सम्मान
- वैधानिक प्राधिकार का पालन
- कानूनी सीमाओं के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग
- यह विश्वास कि सभी पक्षकार, चाहे उनके राजनीतिक मतभेद कुछ भी हों, संवैधानिक मूल्यों का पालन करेंगे।

संवैधानिक नैतिकता का महत्व

- **संवैधानिक व्याख्या का मार्गदर्शन करना:** यह स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और उचित प्रक्रिया के प्रति सम्मान जैसे मूल मूल्यों को दर्शाता है।
- **व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना:** यह उन जड़ जमा चुकी सामाजिक प्रथाओं पर सवाल उठाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जो गरिमा और नागरिक समानता को कमजोर कर सकती हैं।
- **तर्कसंगत न्यायनिर्णयन (Adjudication) को सक्षम करना:** यह न्यायालयों को बहुसंख्यकवादी या पारंपरिक मानदंडों पर भरोसा करने के बजाय सारभूत प्रश्नों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **एक मानक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करना:** भले ही यह एक कठोर कानूनी नियम न हो, लेकिन यह पहचानने में मदद करता है कि शक्ति कब मनमानी या गैर-जवाबदेह हो जाती है।
- **प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करना:** यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ संस्थागत स्वायत्तता के सामंजस्य जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रूपरेखा प्रदान करता है।

वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य

- **मार्गदर्शक सिद्धांत, न कि कठोर सिद्धांत:** इसे एक स्वतंत्र कानूनी परीक्षण के रूप में कार्य करने के बजाय तर्क (Reasoning) को आकार देना चाहिए।
- **प्रक्रियात्मक गुणों पर जोर देना:** इनमें न्यायिक संयम, संस्थागत प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान और आलोचना के प्रति खुलापन शामिल हैं।
- **न्यायिक और विधायी भूमिकाओं को संतुलित करना:** न्यायालय की अधिकारों के रक्षक के रूप में भूमिका को सुरक्षित रखते हुए अत्यधिक न्यायिक प्रभुत्व से बचना।
- **"सामाजिक नैतिकता" पर आँख मूंदकर निर्भरता को अस्वीकार करना:** सामाजिक मानदंडों का उपयोग संवैधानिक संवीक्षा से प्रथाओं को बचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- **सारभूत मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना:** लेबल के बजाय स्वतंत्रता, समानता और गरिमा पर जोर बना रहना चाहिए।

संबद्ध चुनौतियाँ

- **अवधारणात्मक अस्पष्टता:** शब्द में सटीक परिभाषा का अभाव है, जिससे विविध व्याख्याएं होती हैं।
- **न्यायिक विसंगति:** मामलों में असमान अनुप्रयोग परिणामों में अप्रत्याशितता पैदा करता है।
- **न्यायिक अतिरेक का जोखिम:** न्यायालय इसके व्यापक दायरे के तहत अपने अधिकार का विस्तार कर सकते हैं।
- **सामाजिक नैतिकता का दुरुपयोग:** परंपरा या बहुसंख्यक विचारों का आह्वान तर्कसंगत सोच को दबा सकता है।

● **संस्थागत विश्वसनीयता का क्षरण:** न्यायिक आचरण में कथित मनमानापन संवैधानिक शासन में विश्वास को कमजोर करता है।
आगे की राह

- **इसकी भूमिका स्पष्ट करना:** संवैधानिक नैतिकता को एक बाध्यकारी नियम के बजाय एक मानक मार्गदर्शक के रूप में मानना।
- **न्यायिक अनुशासन सुनिश्चित करना:** निरंतरता, पारदर्शिता और तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा देना।
- **संस्थागत संतुलन को मजबूत करना:** न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना।
- **तर्कसंगत बहस को प्रोत्साहित करना:** न्यायालयों को चर्चा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के साथ जुड़ना चाहिए।
- **मुख्य संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि करना:** स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सभी न्यायनिर्णयन के केंद्र में रहने चाहिए।

